FORM – VII

Revised Certificate of Registration issued under Section 9(4) of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 upon allotment of a new Registration Number

(See Sub-rule (2) of rule 8)

Revised Certificate of Registration of Society

I hereby certify that **Smt. Santra Devi Shiksha Samiti** registered vide registration number **NNL/36** on **2007 – 2008** registered with District Registrar/Registrar **Narnaul** has been allotted a new Registration Number as under mentioned on this 30th May, 2013 under the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (Haryana Act No. 1 of 2012).

<table>
<tr><td colspan="2">State Code</td><td colspan="3">District Code</td><td colspan="4">Year of Registration</td><td colspan="5">Registration Number</td></tr>
<tr><td>H</td><td>R</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>S</td><td>3</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="7">Name of the Society</td><td colspan="7">Registered Office Address</td></tr>
<tr><td colspan="7">Smt. Santra Devi Shiksha Samiti</td><td colspan="7">Village & P.O. Pali
Teh. & Distt. Mohindergarh
(Hry.)</td></tr>
</table>

Issued under my hand at 30th May, 2013 at Narnaul.

S.P. Bhukal
District Registrar
Firms & Societies, Narnaul

Seal :
Station : **Narnaul**

Scanned with CamScanner

(iv) शासकीय निकाय ऐसे पारिश्रमिक पर जो शासकीय निकाय द्वारा अवधारित किया जाए, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सोसाइटी के लेखों की लेखापरीक्षा तथा आयकर विवरणी को दायर करने के लिए चार्टर्ड लेखाकार को नियुक्त करेगा, जो शासकीय निकाय का सदस्य या शासकीय निकाय के किसी सदस्य का पारिवारिक सदस्य नहीं होगा ।

12 सामान्य मुद्राः

सोसाइटी के पास एक सामान्य मुद्रा होगी जो महा सचिव/सचिव की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी तथा शासकीय निकाय द्वारा अनुमोदन के अनुसार जहां कहीं यह अपेक्षित हो, लगाई जाएगी ।

13 सोसाइटी का समामेलनः सोसाइटी स्वयं को एक समान लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सोसाइटी में समामेलित कर सकती है या अधिनियम की धारा 51 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के नियम 25 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार इस निमित्त पारित विशेष संकल्प द्वारा स्वयं में समामेलित करने के लिए किसी अन्य सोसाइटी को अनुज्ञात कर सकती है ।

14 सोसाइटी का विघटनः

(i) सोसाइटी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार स्वयं का विघटन करने के लिए प्रस्ताव कर सकती है यदि सोसाइटी की प्रक्रिया को चलाना कठिन हो जाता है, या वह दिवालिया हो जाती है या किसी अन्य दबाव तथा अपरिहार्य कारणों से इसे चलाना कठिन हो जाता है ।

(ii) सोसाइटी के विघटन की घटना में, सोसाइटी की कोई भी परिसम्पत्ति सोसाइटी के सदस्यों को मिल जाएगी या में वितरित कर दी जाएगी;

(iii) इसकी परिसम्पत्तियां तथा सम्पत्तियां पहले किसी दायित्व को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाएंगी तथा छोड़ी गई सम्पत्तियां/परिसम्पत्तियां, यदि कोई हो, समरूप लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सोसाइटी को या साधारण लोकहित में उसके प्रयोग के लिए जिला कलैक्टर को अन्तरण के लिए विचारी जाएगी ।

हम विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम तथा पते इसके नीचे अभिदत हैं, सोसाइटी को उप–विधियों की सही प्रति के रूप में उक्त को प्रमाणित करते हैं :—

क्रम संख्या	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
(i)	ओ०पी० यादव	श्री चन्दगीराम	महेन्द्रगढ़	बिजनिस	[signature]
(ii)	मनीष	पु० ओमप्रकाश	महेन्द्रगढ़	डाक्टर	Manish
(iii)	सरिता	प० सुरेन्द्र	गुड़गांवा	गृहणी	Sarita
(iv)	सन्तोष	प० ओमप्रकाश	महेन्द्रगढ़	डाक्टर	Santosh
(v)	चन्दगीराम	पूर्णचन्द	बवानिया	कृषक	[signature]
(vi)	सन्तरा देवी	चन्दगीराम	बवानिया	गृहणी	LTI Santra Devi
(vii)	अनिता	ओमप्रकाश	महेन्द्रगढ़	डाक्टर	Anita

Certified to be a True Copy
District Registrar of Firms & Societies
O. I. C. Narnaul (Haryana)

कोषाध्यक्ष
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ़)

सचिव
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ़)

प्रधान
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ़)

Scanned with CamScanner

प्रेषक : जिला रजिस्ट्रार,
फर्मज एवम् सोसायटीज़,
नारनौल।

प्रेषित : प्रधान / सचिव,
श्रीमती चन्द्रो देवी शिक्षा समिति
अटेली

यादि क्रमांक : DRFS/DIC/NNL-2013/ 306 दिनांक : 24/06/13

विषय :– हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियम अधिनियम, 2012 के अधीन वर्तमान सोसायटी के नई रजिस्ट्रीकरण संख्या के आबंटन के लिए आवेदन।

उपरोक्त विषय में आपके नई रजिस्ट्रीकरण संख्या के आवेदन के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था को निम्नलिखित शर्तो के साथ नई पंजीकरण संख्या आबंटित कर दी गई है तथा पंजीकरण प्रमाण–पत्र साथ संलग्न किया जाता है। शर्तो का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. नई पंजीकरण संख्या आबंटन के लिए नियमानुसार किसी दस्तावेज की जरूरत पडी तो आपकी संस्था देने के लिए बाध्य होगा।
2. कागजात की समीक्षा के दौरान व नियमानुसार कोई फीस बकाया निकलती है तो आपकी संस्था देने के लिए बाध्य होगा।
3. नई पंजीकरण संख्या आबंटन के लिए दिए गए कागजात / सूचना गलत देने की स्थिति में पूर्ण रूप से आपकी जिम्मेवारी होगी।
4. संस्था के पुराने प्रमाण पत्र, ज्ञापन – पत्र व संविधान नियमानुसार आवश्यकता पड़ने पर मूल रूप में जमा करवाने के लिए बाध्य होगी।
5. संस्था हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियम अधिनियम, 2012 के अधीन सभी नियमों की पालना करेगी तथा कागजात, रिकार्ड, रजिस्टर पूर्ण रखेगी।

जिला रजिस्ट्रार
फर्मज़ एवम् सोसायटीज़, नारनौल

Scanned with CamScanner

अनुबन्ध 1

सोसाइटी का आदेश 'संगम ज्ञापन'

क्रम संख्या	विषय	वर्णन
1	सोसाइटी का नाम	श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
2	सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर होगा	महेन्द्रगढ़
3	अधिकारिता	सोसाइटी हरियाणा राज्य के क्षेत्र के हरियाणा जिला में कार्य करेगी ।
4	सोसाइटी के लक्ष्य तथा उद्देश्य	उद्देश्य जो किसी सोसाइटी के लिए विशेष है नीचे वर्णित किए जाएगे। कुछ उपदर्शित उद्देश्य निम्नअनुसार होग।
(i)	राष्ट्रीय एकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा मैत्री को बढावा देना;	
(ii)	साम्प्रदायिक तथा सामाजिक समन्वय तथा भाई चारा को बढावा देना;	
(iii)	धूम्रपान, शराब तथा मादक [illegible] के निषेध के हेतु कार्य करना तथा लोगो का आन्दोलन प्रारम्भ करना ।	
(iv)	सामाजिक बुराई जैसेकि मादक भ्रूण हत्या [illegible] आदि के सामाजिक उत्सवों पर फिजूल खर्च, निर्णय इत्यादि लेने में महिलाओं को सशक्त करने मे जागरूकता सृजित करना तथा सम्बोधित करना ।	
(v)	कृषि तथा पशुपालन को बढावा [illegible] करना।	
(vi)	विशेष रूप से जल संरक्षण, स्वच्छता, कम लागत आवास, कृषि तथा पशुपालन तथा इंजीनियरिंग स्रोत के क्षेत्र मे विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी (लागत कमी, उत्पादकता सुधारने इत्यादि) के लिए तकनीक तथा प्रोद्योगिकी के लागूकरण सहित ग्रामीण विकास की प्रगति की गति बढाने के लिए कार्यक्रम आरम्भ करना,	
(vii)	पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए तथा पिछली लापरवाही के कारण विकृत प्राकृतिक साधनो के पुनरुद्वार के लिए कार्यक्रम आरम्भ करना;	
(viii)	उर्जा की अक्षय स्रोत वाली प्रणाली सहित उचित प्रोधोगिकी को प्रोत्साहन देना तथा विस्तार;	
(ix)	अनुसंधान कार्य कार्रवाई आरम्भ करते हुए कुटीर तथा लघु उधोग को प्रोत्साहन देना,	
(x)	ऐसे कार्यक्रम आरम्भ करना जिसमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी महिलाओं के जीवन, कार्य स्थिति को सुधारने तथा लाभकर नियोजन के लिए अवसरों में मुख्य भूमिका हो ।	

District Registrar of Firms & Societies

प्रधान
सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ़)

सचिव
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ़)

कोषाध्यक्ष
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ़)

Scanned with CamScanner

(xi)	सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते सहित पारदर्शी रीति में नागरिक सेवाओं को प्रदान करने में लगाना.
(xii)	आर्थिक तथा सामाजिक परियोजनाओं के सफल मूल्यांकन को प्रारम्भ करना ।
(xiii)	ऐसे कार्यक्रम प्रारम्भ करना जो सोसाइटी के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से योजना में हिस्सेदार शामिल करते हुए गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले तथा महिलाओं के आय स्तरों को बढ़ाना तथा रोजगार अवसरों का विस्तार करना, प्रारम्भ गतिविधियों का लागूकरण तथा अनुरक्षण सुनिश्चित करना.
(xiv)	समाज के अलग वर्ग को संगठित करना तथा सरकारी/गैर सरकारी कार्यक्रमों, विधिक उपबन्धों इत्यादि के अधीन उनके कार्यक्रम विषयों तथा सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी के उनके स्तर को बढ़ाने के लिए तथा सहकारी तथा समूह कार्रवाई को उन्नत करते हुए उनकी सौदाकारी शक्ति को भी बढ़ाने के लिए कदम उठाना ।
(xv)	शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, 1986 में अन्तर्विष्ट निदेशों के अनुसार सभी औपचारिक तथा गैर औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम आरम्भ करना ।
(xvi)	खेल तथा स्वास्थ्य ध्यान गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कार्य करना ।
(xvii)	दान या अनुदान या अंशदान के रूप में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, गैर सरकारी अभिकरणों, धर्मार्थ न्यासों से या सार्वजनिक तथा निजी वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेते हुए निधियां लेना या सम्पति अर्जित करना । सोसाइटी के वर्तमान तथा भविष्य की निधियां, सम्पतियां, परिसम्पति तथा सभी अन्य साधनों को उपरोक्त यथा कथित सोसाइटी के किसी या सभी प्रयोजनों या उद्देश्यों के लिए तथा सच्चाई तथा अहिंसा के आदर्शों के प्रोत्साहन में सभी अन्य समरूप गतिविधियों के लिए भी उपयोग किया जाएगा ।

5 सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों के नाम जिसके प्रबन्धन कार्यों के नियत तथा उप विधियां सौंपी जाती हैं, वे निम्न अनुसार है:

क्रम संख्या	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
(i)	ओपी यादव	चन्दगीराम	महेन्द्रगढ	बिजनिस	[signature]
(ii)	प्रदीप	ओमप्रकाश	महेन्द्रगढ	डा०	[signature]
(iii)	सरिता	सुरेन्द्र	गुडगावा	गृहणी	[signature]
(iv)	सन्तोष	ओमप्रकाश	चण्डीगढ	डा०	[signature]
(v)	चन्दगीराम	पूर्ण सिंह	बवानिया	कृषक	[signature]
(vi)	सन्तरा देवी	चन्दगीराम	बवानिया	गृहणी	
(vii)	अनिश	ओमप्रकाश	चण्डीगढ	डा०	[signature]

[signature]
प्रधान
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली, (महेन्द्रगढ)

[signature]
सचिव
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ)

[signature]
कोषाध्यक्ष
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ)

Scanned with CamScanner

अनुबन्ध 2

सोसाइटी की उपविधियों की विषय–वस्तु के लिए व्याख्यात्मक टिप्पण

क्रम संख्या	विषय	विवरण
1	सोसाइटी का नाम	इसमें पत्र जिसके द्वारा ऐसा नाम अनुमोदित किया गया है, की संदर्भ संख्या तथा तिथि देते हुए जिला रजिस्ट्रार द्वारा यथा अनुमोदित सोसाइटी का नाम अन्तर्विष्ट होना चाहिए ।
2	सोसाइटी की सदस्यता	अधिनियम की धारा 14 से 23 को इस निमित्त उपविधियां बनाते समय सावधानीपूर्वक पढ़ी जाए । यह अवलोकन किया गया है कि सोसाइटी में विवादों की अधिकतम संख्या सदस्यता से सम्बन्धित है । उपविधियां सदस्यों की अधिकतम संख्या, के विषयों को सम्बोधित की जानी चाहिए यह सोसाइटी, सदस्यता की किस्म, सदस्यता की प्रत्येक किस्म के लिए फीस, सदस्य के रूप में व्यक्ति को शामिल करने की रीति तथा प्रक्रिया, सदस्यता इत्यादि को समाप्ति के लिए नियत करने की तरह होगा । आगे, सदस्य के रूप में शामिल व्यक्ति के सभी ब्यौरे, जैसेकि नाम, पिता का नाम, पता(पत्राचार तथा स्थाई पता दोनों), सम्पर्क ब्यौरे(जैसेकि दूरभाष संख्या, ई मेल आई डी), जाति या समुदाय (यदि सोसाइटी की उपविधियां ऐसा प्रतिबद्ध करें), पहचान तथा समय पर संसूचना की व्यवस्था आसानी से प्राप्त की जाए ।
3	निष्कासित/निलम्बित सदस्यों का पुनः प्रवेश	सोसाइटी सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा 22 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के निबन्धनों के अनुसार सोसाइटी के सदस्य के रूप में समाप्त, या सदस्य का निलम्बन तथा बहाली, यदि आवश्यक समझी जाए, के पुनः प्रवेश के लिए प्रक्रिया अपनी उपविधियों में भी अधिकथित कर सकती है । तथापि, यह भी ध्यान में रखा जाए कि कोई भी ऐसा सदस्य जो नैतिक अधमता के बराबर अपराध का सिद्धदोष हो गया हो या जो किसी कदाचार के लिए जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार महा रजिस्ट्रार के निदेशों पर सदस्यता से हटा दिया गया है, को पुनः शामिल नहीं दिया जाना चाहिए ।
4	सदस्यों के अधिकार/विशेषाधिकारों तथा कर्तव्य	सोसाइटी की उपविधियों में अपने सदस्यों के अधिकार/विशेषाधिकारों तथा कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ।
5	सामान्य निकाय की परिभाषा	'सामान्य निकाय' से अभिप्राय है सोसाइटी के 'सदस्यों' का उल्लेख तथा जो निर्वाचकगण में विभक्त किया जा

कोषाध्यक्ष
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति

सचिव
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ़)

प्रधान
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ़)

Scanned with CamScanner

		सकता है जहां सदस्यता सोसाइटी के कॉलिजियम का गठन करने के उद्देश्य से 300 से अधिक है । कॉलिजियम का गठन तथा कॉलिजियम के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सोसाइटी/ इसके प्रबन्धन द्वारा निर्णीत किया जाना चाहिए जो सोसाइटी की उपविधियों में उचित समझा जाए तथा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए ।
6	शासकीय निकाय तथा कॉलिजियम का आकार	शासकीय निकाय का आकार जो अधिनियम की धारा 33 के निबन्धनों के अनुसार 3 से 21 के बीच परिवर्तित किया जा सकता है, इसके पदाधिकारियों के पदनाम तथा उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य सोसाइटी की उप-विधियों में स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाने चाहिए। जहां सोसाइटी की सदस्यता की संख्या 300 से अधिक रखने का निर्णय करती है, तो इसके लिए निर्वाचकगण(300 से अनधिक) गठित करना अपेक्षित होगा तथा इस प्रकार बना कॉलिजियम सभी उद्देश्यों तथा प्रयोजनों के लिए सामान्य निकाय के रूप में कार्य करेगा । उस मामले में, शासकीय निकाय का आकार कॉलिजियम के आकार के 1/5 से अधिक नहीं हो सकता ।
7	निर्वाचकगण का सृजन/ गठन	300 सदस्यों से अधिक की सोसाइटियों की दशा में, ये इसकी उपविधियों में निर्वाचकगण के सृजन तथा कॉलिजियम के सदस्यों के निर्वाचन की स्कीम का उत्कीर्ण करना अपेक्षित है। परिशिष्ट 2 में उदाहरण के साथ पठित नियम 16 में अन्तर्विष्ट उपबन्ध स्पष्टता के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
8	कॉलिजियम/शासकीय निकाय का निर्वाचन	यह ध्यान में रखते हुए कि सोसाइटियों की सदस्यता तथा निर्वाचन सोसाइटी के कार्यों के निर्बाध प्रबन्धन में समस्या का मुख्य भाग गठित करते हैं, यह सलाह देने योग्य है कि कॉलिजियम तथा शासकीय निकाय के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रक्रिया अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन सोसाइटी की उप-विधियों में स्पष्ट रूप में परिभाषित है.।
9	शासकीय निकाय की अवधि	सोसाइटी के शासकीय निकाय की पदावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । सोसाइटी की उप-विधियों में इसकी पदावधि के दौरान तथा नए शासकीय निकाय के निर्वाचन तक किसी कारण जो भी हो, शासकीय निकाय के किन्हीं पदाधिकारियों या सदस्यों की रिक्ति को भरने के लिए उपबन्ध भी अन्तर्विष्ट होने चाहिए ।
10	शासकीय निकाय की बैठक के नोटिस की अपेक्षा	शासकीय निकाय तथा सामान्य निकाय की बैठकें बुलाने के लिए नोटिस अवधियां अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन उपविधियों में विहित की

श्रीमति ... श्रीमति ... श्रीमति ...

Scanned with CamScanner

		जानी चाहिए ।
11	बैठक की गणपूर्ति	सोसाइटी की उप-विधियां में किसी बैठक की गणपूर्ति के लिए शर्त लगानी चाहिए। अधिनियम शासकीय निकाय/कॉलिजियम बैठक की गणपूर्ति 40 प्रतिशत के रूप में विनिर्दिष्ट करता है। नियम 16 में अन्तर्विष्ट उपबन्ध उप-विधियों में विनिर्दिष्ट करते समय दिमाग में रखे जा सकते हैं जैसेकि प्रथम उदाहरण तथा स्थगन में बुलाई गई बैठक में गणपूर्ति के अभाव के कारण स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति क्या होनी चाहिए ।
12	शासकीय निकाय तथा तत्काल बैठक	उपविधियों में शासकीय निकाय की कुल संख्या के कम से कम 50 प्रतिशत की लिखित सहमति सहित लघु नोटिस पर या किसी औपचारिक नोटिस के बिना शासकीय निकाय को तत्काल बैठक बुलाने के लिए उपबन्ध भी अन्तर्विष्ट किए जा सकते हैं।
13	शासकीय निकाय की शक्तियां	सोसाइटी की उपविधियों में शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए जिनका सोसाइटी के कार्यों के प्रबन्धन के लिए शासकीय निकाय तथा इसके पदाधिकारियों द्वारा प्रयोग की जा सकता है । शासकीय निकाय सोसाइटी की परिसम्पति का अभिरक्षक है ।
14	सोसाइटी के पदाधिकारी तथा उनकी शक्तियां	सोसाइटी की उपविधियों में प्रत्येक पदाधिकारी, उनके पदनाम तथा उनकी शक्तियां तथा कर्तव्यों से सम्बन्धित उपबन्ध भी अन्तर्विष्ट होने चाहिए । पदाधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए हकदार होंगे जो सोसाइटी की उपविधियों में वर्णित है। यह वित्तीय संव्यवहार पर उचित आन्तरिक नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से पदाधिकारियों द्वारा एकल रूप से या संयुक्त रूप से लेखों के प्रचालन को विनिर्दिष्ट करने के लिए लाभदायक हो सकता है ।
15	महा सचिव/सचिव	सोसाइटी की बैठके बुलाने के लिए जिम्मेवारी सामान्यतः सोसाइटी के सचिव/महा सचिव में निहित होनी चाहिए जो सोसाइटी के सभी रिकार्ड, दस्तावेज़ों, अधिकार पत्र इत्यादि का अभिरक्षक भी होगा । उपविधियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, सचिव शासकीय निकाय के निर्णयों को लागू तथा अधिनियम के अधीन वैधानिक अनुपालनाओं की विभिन्न किस्मों के लिए सोसाइटी के अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेवार होगा ।
16	खंजाची द्वारा निधियों का प्रबन्धन	शासकीय निकाय के सदस्यों में से एक सदस्य को खजांची के रूप में पदनामित किया जाना चाहिए जो सोसाइटी की निधियों तथा परिसम्पतियों के उचित प्रबन्धन तथा सोसाइटी की उपविधियों/नियमों के अनुसार लेखा पुस्तकों के उचित

प्रधान
श्रीमति [illegible] देवी शिक्षा समिति
[illegible] (महेन्द्रगढ़)

कोषाध्यक्ष
श्रीमति [illegible]

सचिव
श्रीमति [illegible] देवी [illegible]

Scanned with CamScanner

		अनुरक्षण के लिए जिम्मेवार होना चाहिए । वह सभी लेखा पुस्तकों / वैधानिक रिकार्ड तथा सभी बैंक खातों की चैक बुकों, एफ डी आर. इत्यादि का अभिरक्षक होना चाहिए । उपविधियों में अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में सभी दस्तावेजों को दायर करने के लिए जिम्मेवार अधिकारी को भी विनिर्दिष्ट करना चाहिए ।
17	आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उपबन्ध	मृत्यु, त्याग पत्र सदस्यता इत्यादि की समाप्ति के कारण सोसाइटी के पदाधिकारियों की किसी रिक्ति को भरने के सम्बन्ध में प्रक्रिया सोसाइटी की उपविधियों में परिभाषित की जानी चाहिए। आदर्शतः ऐसा व्यक्ति केवल जब तक सामान्य निकाय की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक तक निरन्तर पदधारण करना चाहिए तथा कृत्य करने चाहिए, तब तक उसकी नियुक्ति ऐसी वार्षिक सामान्य बैठक में आगे अभिपुष्ट नहीं की जाती है ।
18	सोसाइटी की आय के स्रोत	प्रत्येक सोसाइटी को उसकी उपविधियों में इसकी आय के स्रोत स्पष्ट रूप से परिभाषित करने चाहिए जैसे कि सदस्यता फीस, वार्षिक अंशदान, दान, सम्पति / परिसम्पति से किराया, ब्याज, उपहार इत्यादि ताकि इसके वित्तीय संव्यवहार में इमानदारी बनाए रखी जा सके ।
19	सोसाइटी के लेखों की लेखा परीक्षा से सम्बन्धित उपबन्ध	सोसाइटी की उपविधियों में किसी लेखा परीक्षक जो भारत की चार्टर्ड एकाउटैंट की संस्था का सदस्य है, से सोसाइटी के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा के लिए उपबन्ध करना चाहिए तथा ऐसा लेखा परीक्षक सोसाइटी के शासकीय निकाय का सदस्य नहीं होना चाहिए ।
20	बैंक लेखों का संचालन	सोसाइटी की उपविधियों में व्यक्तियों को परिभाषित करना चाहिए जो इसके बैंक लेखों के संचालन के लिए प्राधिकृत है; जिसमें इसके कर्मचारी तथा पदाधिकारी शामिल हो सकते है। दिन प्रति दिन खर्चों को पूरा करने के लिए हाथ में नकदी की सीमा, सीमाएं जिन तक प्राधिकृत व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से तथा संयुक्त रूप से चैकों पर हस्ताक्षर कर सकें ऐसी सीमाओं से बाहर हस्ताक्षरी को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ।

प्रधान
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ)

सचिव
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ)

कोषाध्यक्ष
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ)

Scanned with CamScanner

अनुबन्ध 3

कॉलिजियम के बिना सोसाइटी (बहु उद्देशीय) के लिए आदर्श उपविधियां

1. सोसाइटी का नाम—श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति—में होगा ।
2. सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय(पूरा डाक पता)—महेन्द्रगढ़—
3. सोसाइटी हरियाणा राज्य के क्षेत्र के भीतर —महेन्द्रगढ़— जिला में अपनी मुख्य गतिविधियां करेगी ।
4. सदस्यताः
   (1) सोसाइटी में संस्थापक सदस्यों/मूल अंशदाता सहित अधिकतम 250 सदस्य होंगे ।
   (2) पात्रताः सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश किए जाने के उद्देश्य से व्यक्तिः
      (i) प्रवेश की तिथि को 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए;
      (ii) सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में अंशदान करना चाहिए;
      (iii) प्रवेश फीस तथा वार्षिक अंशदान फीस जमा करने चाहिए तथा सदस्य के रूप में बने रहने के लिए वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को ऐसी फीस के भुगतान के बकाया में नहीं होने चाहिए;
      (iv) दिवालिया तथा विकृत चित नहीं होना चाहिए;
      (v) एक वर्ष या अधिक के कारावास वाले नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का सिद्धदोष नहीं होना चाहिए ।
   (3) सदस्यों की प्रकार/किस्म/प्रवर्गः सोसाइटी निम्न अनुसार सदस्यों के चार विभिन्न प्रवर्गों की होगीः
      (i) संस्थापक सदस्य— सदस्य जो सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के समय पर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है तथा सोसाइटी को अपेक्षित सदस्यता फीस का भुगतान कर दिया है । संस्थापक सदस्यों की संख्या———से अधिक नहीं होगी। संस्थापक सदस्य सोसाइटी के आजीवन सदस्य बने हुए भी समझे जाएंगे तथा यदि सोसाइटी के सदस्यों की कुल संख्या 300 से अधिक है, तो निर्वाचन के बिना कॉलिजियम के सदस्य होने के नाते विशेषाधिकार रखेंगे ।
      (ii) आजीवन सदस्यः— किसी व्यक्ति के विहित फीस के भुगतान पर आजीवन सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है तथा ऐसा व्यक्ति उसके जीवन के लिए सोसाइटी के सदस्य के रूप में बना रहेगा। आजीवन सदस्यों की कुल संख्या One———से अधिक नहीं होगी ।
      (iii) साधारण सदस्य— सोसाइटी में कुल——चार——साधारण सदस्य होंगे जो उनकी वार्षिक अंशदान फीस के भुगतान के बकाया में न होने तक केवल अपनी सदस्यता का निरन्तर उपभोग करेंगे । साधारण सदस्य को पदावधि सदस्य के रूप में अर्थात् दो से पांच वर्ष (वर्षों),जैसी भी स्थिति हो, की अवधि के लिए शामिल किया जा सकता है तथा वह उसकी पदावधि के पूरा होने पर सोसाइटी के सदस्य के रूप में समाप्त जब तक रहेगा तब तक दूसरी पदावधि के लिए शासकीय निकाय द्वारा इसे नवीकृत नहीं किया जाता है ।
      (iv) अवैतनिक सदस्य— शासकीय निकाय विख्यात प्रतिभा तथा मैरिट के व्यक्तियों को शामिल कर सकती है या जिसकी संस्था सोसाइटी के लिए लाभप्रद के रूप में समझी जाती है या जिसमें सोसाइटी के लिए उत्कृष्ट मैरिट की सेवाए अर्पित की है या जो सोसाइटी के अवैतनिक सदस्य के रूप में भारत का या किसी अन्य देश का विख्यात नागरिक है, को व्यक्तिगत सहमति प्राप्त करने के बाद किसी सदस्यता या

प्रधान
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ)

सचिव
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ)

कोषाध्यक्ष
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ)

Scanned with CamScanner

अंशदान फीस के भुगतान के बिना शामिल किया जा सकता है । ऐसे अवैतनिक सदस्यों की संख्या ———————से अधिक नहीं होगी । अवैतनिक सदस्य बैठक में उपस्थित होने तथा विचार विमर्श में सहायक होंगे किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नही होगा ।

(4) सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदानः
(i) सोसाइटी की सदस्यता के लिए दरें तथा वार्षिक अंशदान निम्न अनुसार होगा:

जो सोसाइटी द्वारा अपनी उपविधियों में निर्णीत किए जाए			
क्रम संख्या	सदस्य की किस्म	प्रवेश फीस	वार्षिक अंशदान
1	संस्थापक सदस्य	21,000/— रुपए	शून्य
2	आजीवन सदस्य	11,000/— रुपए	शून्य
3	साधारण सदस्य	1100/— रुपए	500/— रुपए
4	अवैतनिक सदस्य	शून्य	शून्य

(ii) सदस्यों के वार्षिक अंशदान का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को देय होगा, जो ऐसे वर्ष के जून के 30 वें दिन तक अन्तिम रूप में भुगतान किया जा सकता है। चूककर्ता सदस्य की सदस्यता देय तिथि (30 जून) के बाद निलम्बनाधीन के रूप में समझी जाएगी तथा ऐसा सदस्य कथित वर्ष की प्रथम जुलाई के बाद कराए गए सोसाइटी के निर्वाचनों के दौरान अपना मत डालने के हकदार नहीं होंगे।

(iii) वार्षिक अंशदान के भुगतान में चूक के कारण सदस्यता का निलम्बन भुगतान योग्य राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित चूक को चुकाने के बाद रद्द किया जा सकता है । तथापि, वह बाकी के वित्तीय वर्ष के दौरान कराए गए किसी निर्वाचन में अपना मत डालने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(5) प्रवेश प्रक्रिया(अंशदाता से अन्यथा सदस्यों के लिए):
(i) सोसाइटी के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति का प्रवेश समय समय पर इसके शासकीय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाएगा;
(ii) सोसाइटी के सदस्य के रूप में इच्छुक व्यक्ति विहित प्ररूप में; तथा विधिवत भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित तथा सोसाइटी के नियमित सदस्य द्वारा अनुशासित सचिव को समर्थित दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा ।
(iii) सचिव आवेदन की जांच करेगा तथा उसे निर्णय के लिए शासकीय निकाय के सम्मुख रखेगा।
(iv) शासकीय निकाय आवेदन के स्वीकृत या रद्द कर सकता है तथा इस सम्बन्ध में शासकीय निकाय का निर्णय अन्तिम होगा। यह इसके निर्णय के लिए कोई कारण देने हेतू बाध्य नहीं होगा ।
(v) शासकीय निकाय का अनुमोदन सदस्य को सूचित किया जाएगा , उसका नाम हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम, 2012 के अधीन यथा विहित

प्रधान
श्रीमति [illegible] देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ)

सचिव
श्रीमति [illegible] देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ)

कोषाध्यक्ष
श्रीमति [illegible] देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ)

Scanned with CamScanner

ऐसी रीति तथा प्ररूप में रखे जाने वाले सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा तथा उसे सोसाइटी का पहचान पत्र जारी किया जाएगा ।

(6) प्रत्येक सदस्य के लिए पहचान पत्र सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के व्यक्तिगत सदस्य तथा महा सचिव द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित उसके फोटो, सक्षिप्त ब्यौरे तथा सदस्यता प्रवर्ग वाला पहचान पत्र जारी किया जाएगा ।

(7) सदस्यों के अधिकार तथा बाध्यताएं

(i) सोसाइटी के सभी सदस्य इसकी उपविधियों में यथा अन्तर्विष्ट तथा समय समय पर संशोधित सोसाइटी के नियमों तथा विनियमों द्वारा बाध्य होंगे;

(ii) अवैतनिक सदस्य के सिवाएं प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के निर्वाचन में अपना मत डालने का अधिकार होगा परन्तु ऐसा सदस्य सोसाइटी के किसी देयों तथा देय तिथि से आगे तीन मास की अवधि के लिए वार्षिक अंशदान के भुगतान में चूककर्ता नहीं है;

(iii) सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को सात दिन का नोटिस देते हुए किसी कार्य दिवस को सोसाइटी की लेखा पुस्तकों, सामान्य बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत वाली पुस्तकों, शासकीय निकाय की बैठकों तथा सदस्यों के रजिस्टर का निरीक्षण करने का अधिकार होगा;

(iv) प्रत्येक सदस्य उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में सोसाइटी को सूचित करेगा जो सोसाइटी के सदस्यो के रजिस्टर में विधिवत् अभिलिखित किया जाएगा तथा जिसके बाद सोसाइटी ऐसे सदस्य को नया पहचान पत्र जारी करेगी ।

(8) सदस्यता की समाप्तिः सदस्य के रूप में शामिल कोई व्यक्ति निम्नलिखित घटनाओं में सोसाइटी के सदस्य के रूप में नहीं रहेगा :

(i) अधिनियम की धारा 22 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को आकर्षित करने;

(ii) सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यो के प्रतिकूल उसके कार्य करने पर;

(iii) ऐसे सदस्य के सोसाइटी की निधियों का वित्तीय गबन का दोषी पाए जाने पर;

(iv) सोसाइटी के जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार/महा रजिस्ट्रार द्वारा हटाने के लिए अभ्यारोपण तथा निदेशनों पर;

(v) अवैतनिक सदस्य सोसाइटी के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा यदि शासकीय निकाय इस निमित संकल्प पारित करते हुए ऐसा निर्णय करता है। 7

5 सामान्य निकायः

(1) सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति सोसाइटी के शासकीय निकाय का सदस्य होगा तथा सोसाइटी के शासकीय निकाय के निर्वाचन के लिए अपना मत डालने के लिए जब तक हकदार होगा तब तक वह वार्षिक अंशदान सहित सोसाइटी के किन्हीं देयों के भुगतान के बकायों में नहीं रहता है ।

(2) प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप में अपना मत डालेगा तथा कोई भी प्रतिपुरूष मतदान अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

6 सामान्य निकाय की बैठकें:

(i) सामान्य निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो, बुलाई जाएगी । तथापि, सोसाइटी के सामान्य निकाय की कम से कम एक बैठक बुलाई जाएगी जैसाकि वार्षिक सोसाइटी के सामान्य निकाय की बैठक (ए जी एम) यथा अपेक्षित सोसाइटी के किसी अन्य कारबार के सामान्य बैठक (ए जी एम) यथा अपेक्षित सोसाइटी के किसी अन्य कारबार के संव्यवहार के अतिरिक्त सोसाइटी के विधिवत लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के विचारण

प्रधान
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा स
पाली (महेन्द्रगढ़)

सचिव
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ़)

कोषाध्यक्ष
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ़)

तथा अंगीकरण के लिए वित्त वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर एक वर्ष में बुलाई जाएगी ।

(ii) सोसाइटी का शासकीय निकाय या तो वह स्वयं या सामान्य निकाय के सदस्यों के कम से कम 1/10 से ऐसी बैठक बुलाने के लिए कारणों सहित लिखित मांग की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर इसके अधीन यथा विहित उचित नोटिस देने के बाद किसी समय पर सोसाइटी के सामान्य निकाय की असाधारण बैठक बुला सकता है ।

(iii) सामान्य निकाय की किसी बैठक के लिए संव्यहारित किए जाने वाले कारबार के एजेंडे की प्रति, बैठक की तिथि, समय तथा स्थान सहित कम से कम 14 दिन का स्पष्ट नोटिस सामान्य निकाय के सदस्यों को दिया जाएगा । ऐसे नोटिस की एक प्रति जिला रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित की जाएगी।

(iv) सामान्य निकाय की बैठक सामान्य निकाय के सदस्यों के बहुमत द्वारा (कुल सदस्यों का कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक) यदि सहमत हों, लघु नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है ।

(v) सामान्य निकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम चार सदस्यों के अध्यधीन मत के लिए हकदार तथा व्यक्तिगत रूप में उपस्थित कुल सदस्यों के 40 प्रतिशत से होगी । गणपूर्ति की कमी के लिए स्थगित बैठक की दशा में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति, अधिकतम तीन के अध्यधीन, कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी ।सामान्य निकाय किसी विशेष संकल्प के विचारण के सिवाए ऐसी स्थगित बैठक में सभी कारबार पूरे करने के लिए सक्षम होगा । कोई विशेष संकल्प केवल ऐसी स्थगित बैठक में पारित किया जाएगा यदि सोसाइटी के कुल सदस्यों का कम से कम 25 प्रतिशत उपस्थित है;

(vi) सामान्य निकाय की सभी बैठकों की कार्यवाहियां सचिव द्वारा प्रयोजन के लिए अलग रूप से रखी गई कार्यवृत पुस्तक (बांधी गई या खुल्ले पन्नों में) में अभिलिखित की जांएगी तथा ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसाइटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

7 सामान्य निकाय की शक्तियाँ, कृत्य तथा कर्तव्यः—

(i) सोसाइटी को इसके लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का अवधारण करने तथा पूरा करने में गाइड करना ।

(ii) पालिसी मामलों का निर्णय करना जैसे कि सोसाइटी के नाम का परिवर्तन, सोसाइटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों में संशोधन , सोसाइटी के वार्षिक लेखों का अनुमोदन, सोसाइटी इत्यादि की अंचल परिसम्पतियों के निपटान के लिए अनुमोदन तथा सभी ऐसे अन्य कार्य जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम तथा नियम, 2012 के अधीन अपेक्षित हों ।

(iii) शासकीय निकाय के सदस्यों को निर्वाचित करना ।

(iv) शासकीय निकाय से किसी सदस्य को हटाना तथा आकस्मिक रिक्ति के विरूद्ध शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बनाए रखने के लिए अनुमोदन प्रदान करना ।

प्रधान
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ)

सचिव
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ)

कोषाध्यक्ष
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ)

Scanned with CamScanner

8

शासकीय निकायः

(1) संयोजनः सोसाइटी का शासकीय निकाय निम्न अनुसार कुल 11 पदाधिकारियों तथा सदस्यों का होगा;

(क) प्रधान

(ख) उप प्रधान

(ग) महा सचिव / सचिव

(घ) संयुक्त सचिव

(ड) खंजाची

(च) शासकीय निकाय द्वारा किसी अवैतनिक सदस्य के सहयोजन सहित छह कार्यकारी सदस्य ।

(2) **शासकीय निकाय का निर्वाचन**

(i) शासकीय निकाय की अवधि जिला रजिस्ट्रार द्वारा इसके निर्वाचन के अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की होगी।

(ii) शासकीय निकाय निर्वाचनों को करवाने के लिए निर्वाचन की अनुसूची घोषित करेगा तथा रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा तथा निर्वाचनों को करवाने के लिए सामान्य बैठक को बुलाने से कम से कम 45 दिन पूर्व मत के हकदार सामान्य निकाय के सदस्यों की सूची भी अधिसूचित / प्रदर्शित करेगा। शासकीय निकाय तिथि, समय तथा रीति सूचित करते हुए सभी सदस्यों को शासकीय निकाय के निर्वाचन करवाने के लिए नोटिस भी भेजेगा। शासकीय निकाय के लिए निर्वाचन करवाने के सम्बन्ध में सूचना जिला रजिस्ट्रार को पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए भी भेजेगा, यदि वह ऐसी इच्छा करें ।

(iii) मत के लिए हकदार सोसाइटी के सदस्यों की सूची के रूप में किसी आक्षेप का सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ परामर्श से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाएगा। तथापि, रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय राय की किसी भिन्नता की घटना में अन्तिम होगा। उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन की अनुसूची, नामांकन की संवीक्षा तथा वापसी, यदि कोई हो, में विहित अवधि के भीतर दायर किए जाने के लिए नामांकन आमंत्रित करेगा ।

(iv) रिटर्निंग अधिकारी सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की सूची प्रदर्शित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी, अधिसूचित तिथि को निर्वाचन करवाएगा। मत के लिए पात्र सदस्य की स्वंय तथा जहां कहीं विवाद हो, सोसाइटी द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रस्तुति पर अपना मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। (5)

(v) मतदान की तिथि को समय की समाप्ति के बाद, रिटर्निंग अधिकारी परिणाम घोषित करेगा तथा सोसाइटी का शासकीय निकाय गठित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित शासकीय निकाय के निर्वाचित पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों की सूची 30 दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास दायर करेगा, जो अपनी सन्तुष्टि पर उसका अपना अनुमोदन प्रदान करेगा ।

Sonita
कोषाध्यक्ष
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ़)

सचिव
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ़)

प्रधान
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ़)

Scanned with CamScanner

(vi) सोसाइटी के पदाधिकारी सोसाइटी की सेवाएं देने के लिए किसी पारिश्रमिक के लिए हकदार नहीं होंगे ।

(3) शासकीय निकाय की किसी आकस्मिक रिक्ति को भरनाः—

शासकीय निकाय के किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से उत्पन्न कोई रिक्ति सोसाइटी की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक करने तक तदर्थ आधार पर सामान्य निकाय के सदस्यों में से, यदि अपेक्षित हो, शासकीय निकाय द्वारा भरी जा सकती है । शासकीय निकाय के ऐसे तदर्थ सदस्य आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा, यदि उसको नियुक्ति शासकीय निकाय की शेष अवधि के लिए बहुमत द्वारा, वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित नहीं की जाती है।

(4) शासकीय निकाय की बैठक—

(i) शासकीय निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो बुलाई जाएगी । तथापि, शासकीय निकाय प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा तथा वित्त वर्ष में शासकीय निकाय की कम से कम चार बैठक होंगी ।

(ii) प्रत्येक ऐसी बैठक का तीन दिन का स्पष्ट नोटिस बैठक के लिए नियत तिथि से पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को शासकीय निकाय के सचिव द्वारा दिया जाएगा। तथापि, शासकीय निकाय इसके सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत की सहमति से जब कभी ऐसा अपेक्षित हो, लघु नोटिस पर बैठक कर सकता है ।

(iii) शासकीय निकाय की बैठकों की गणपूर्ति, अधिकतम 5 सदस्यों के अध्यधीन, शासकीय निकाय के कुल सदस्यों के कम से कम 40 प्रतिशत से होगी । यदि गणपूर्ति विद्यमान नहीं है, तो बैठक दूसरी तिथि के लिए स्थगित कर दी जाएगी । जिसके लिए उचित नोटिस जारी किया जाएगा । अधिकतम तीन सदस्यों के अध्यधीन स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्य स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे ।

(iv) शासकीय निकाय की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप में रखी गई कार्यवाही पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी । ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसाइटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे । यदि अध्यक्ष या सचिव कार्यवृत हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नहीं है; तो वे शासकीय निकाय द्वारा यथा प्राधिकृत बैठक में उपस्थित किन्हीं दो सदस्यो द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

(v) शासकीय निकाय को प्रत्येक बैठक के कार्यवृत शासकीय निकाय की परवर्ती बैठक में पुष्टि के लिए रखे जाएंगे ।

(5) शासकीय निकाय की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्यः—

(i) शासकीय निकाय सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार होगा तथा सोसाइटी के सर्वोत्तम हित में कार्य करेगा जिसके लिए इसे कथित उद्देश्यों के लिए सोसाइटी की निधियों तथा परिसम्पत्तियां के फैलाव के लिए सशक्त किया जाएगा;

(ii) शासकीय निकाय इस द्वारा यथा निर्णीत इसके नाम से निधियां उठाने तथा पूर्णस्वामित्व या पट्टा आधार पर चल तथा अचल सम्पति खरीदने के लिए सक्षम होगा ।

कोषाध्यक्ष
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति

सचिव
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ)

प्रधान
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ)

Scanned with CamScanner

(iii) शासकीय निकाय सोसाइटी से सम्बन्धित या में निहित सभी अचल सम्पतियों तथा चल परिसम्पतियों का सम्पूर्ण प्रभार रखेगा तथा इन्हें ऐसी रीति में प्रबन्धित करेगा जैसा यह सोसाइटी के शासकीय निकाय के सम्पूर्ण नियन्त्रण तथा निर्देशन के अध्यधीन उचित समझे ।

(iv) शासकीय निकाय रीति जो वह सोसाइटी के सर्वोत्तम हित में उचित समझे, में निधियां निवेश करने के लिए सक्षम होगा तथा यह निर्णीत रीति में सोसाइटी की ओर से सम्पतियां उधार लेने या गिरवी रखने या बन्धक रखने के लिए सक्षम होगा ।

(v) ऐसे कृत्यों जो समय समय पर सौंपे जाएं, की देखभाल करने के लिए विभिन्न स्थाई या तदर्थ समितियां गठित करना ।

(vi) सीविनहीन रीति में लिपिकीय, लेखा तथा अन्य कृत्यों की देखभाल करने के लिए सोसाइटी के नियमित या अंशकालिक कर्मचारियों को लगाने के लिए प्रबन्ध सृजित करना ।

(vii) बाहरी स्रोत से कतिपय कृत्य करना अर्थात् सोसाइटी के परिसरों की सफाई सुरक्षा तथा समरूप अन्य रखरखाव गतिविधियां ।

(6) शासकीय निकाय के व्यक्तिगत सदस्यों की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य–

(i) प्रधानः

(क) सामान्य निकाय की तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियां नियन्त्रित करना ।

(ख) सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा समय–समय पर सामान्य निकाय तथा/या शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।

(ग) किसी मामले पर विचार विमर्श को अनुज्ञात या अस्वीकार करना जो एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता है ।

(घ) सोसाइटी/शासकीय निकाय के उचित तथा पारदर्शी कृत्य करना सुनिश्चित करना ।

(ङ) हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करना ।

(च) सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की सम्पूर्ण गतिविधियों/उपलब्धियों का पर्यवेक्षण तथा गाइड करना ।

(ii) उप–प्रधानः

(क) प्रधान की उसके कर्तव्यों को करने में सहायता करना ।

(ख) प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान की ओर से कार्य करना तथा सभी कर्तव्यों को पूरा करना तथा सभी शक्तियों का प्रयोग करना ।

(ग) सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।

प्रधान
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ)

Samita
कोषाध्यक्ष
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ)

सचिव
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ)

Scanned with CamScanner

(iii) महा सचिव / सचिवः

(क) सोसाइटी के सभी कार्यों को करना, संघटित करना, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध करना तथा सोसाइटी के कार्य के लिए सभी ऐसे कार्य करना तथा सभी ऐसे कर्तव्य पूरे करना जो प्रधान / शासकीय निकाय द्वारा सौंपे जाएं;

(ख) शासकीय निकाय के सम्मुख सोसाइटी की सदस्यता के लिए आवेदन प्राप्त करना, संवीक्षा करना तथा रखना तथा सदस्य का नाम उसके आधार के अधीन सदस्यों के रजिस्टर में, यदि अनुमोदित हो, दर्ज करना तथा उसके बारे में सदस्यों को सूचित करना तथा इस प्रकार शामिल किए गए सदस्यों को पहचान पत्र जारी करना;

(ग) प्रधान की सहमति से सामान्य निकाय / शासकीय निकाय की बैठक आयोजित करना तथा इन उपविधियों के अधीन यथा विहित उचित नोटिस तामील करना ।

(घ) सामान्य निकाय तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों में हाजिर होना तथा बैठके करने में प्रधान की सहायता करना तथा सभी बैठको को कार्यवाहियों का रिकार्ड करना ।

(ड) सोसाइटी की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसे रखने के अनुमोदन के लिए सोसाइटी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों सहित शासकीय निकाय के सम्मुख उसे रखना ।

(च) सोसाइटी / शासकीय निकाय का रिकार्ड रखना तथा परिरक्षण करना ।

(छ) सोसाइटी के सम्पूर्ण कार्यों की देखभाल करने में तथा सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रधान की सहायता करना तथा सहयोग देना ।

(ज) जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में सभी वैधानिक विवरणी / दस्तावेजों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारों को समय पर दायर करना सुनिश्चित करना जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित किए जाएं ।

(झ) सोसाइटी की सामान्य मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अभिरक्षक होना तथा शासकीय निकाय के अनुमोदन के अनुसार, जहां कही अपेक्षित हो, उसे लगाना ।

(ञ) सोसाइटी / शासकीय निकाय की ओर से पत्राचार करना तथा उसकी ओर से पत्रों तथा कागजों पर हस्ताक्षर करना तथा सुनिश्चित करना कि सभी वैधानिक रजिस्टर तथा रिकार्ड को उचित रूप से रखे तथा अनुरक्षित किए जा रहे हैं ।

(ट) निर्वाचन तथा वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि की घोषणा से पूर्व मत के लिए पात्र सदस्यों की सूची तैयार, विधिवत अद्यतन करना तथा शासकीय निकाय के सम्मुख इसे रखना;

(ठ) सोसाइटी के सभी कार्यक्रमों के प्रशासन तथा निष्पादन के सम्पूर्ण प्रभारी के रूप में कार्य करना / जिसमें पदों का सृजन, वेतन / पारिश्रमिक / भत्तों इत्यादि का नियतन, अमले की नियुक्तियां करने / लगाने, खरीद करने सहित शासकीय निकाय की ओर से वित्तीय कार्य शामिल है तथा सभी अन्य ऐसे काम करना जो समय समय पर शासकीय निकाय द्वारा प्रत्यायोजन के अनुसार सोसाइटी के लक्ष्यों तथा

कोषाध्यक्ष
श्रीमति ज्योतरो देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ)

सचिव
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ)

प्रधान
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ)

Scanned with CamScanner

उद्देश्यों के प्रोत्साहन में आवश्यक हो तथा जहां कोई भी ऐसा प्रत्यायोजन सोसाइटी के प्रधान के परामर्श से विशिष्ट रूप से नहीं किया जाता है ।

(iv) संयुक्त सचिवः

(क) सोसाइटी के महा सचिव/सचिव की उसके कृत्यों तथा कर्तव्यों को करने में सहायता करना;

(ख) शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत सीमा तक उसकी अनुपस्थिति में सोसाइटी के सामान्य सचिव/सचिव के कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करना,

(ग) ऐसे कृत्यों तथा कर्तव्यों की देखभाल करना तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जो समय समय पर सोसाइटी के शासकीय निकाय द्वारा सौंपे तथा प्रत्यायोजित किए जाए ।

(v) खजांचीः

(क) सोसाइटी के सभी वित्तीय सव्यवहारों तथा सोसाइटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी राशियों के लेखें रखना तथा ऐसे मामलों से सम्बन्धित, तथा परिसम्पति, जमा तथा दायित्वों की प्राप्तियों तथा खर्चों के रिकार्ड रखना;

(ख) प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शासकीय निकाय द्वारा नियुक्त चार्टर्ड लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित सोसाइटी के लेखे प्राप्त करना;

(ग) वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व सोसाइटी के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे महा सचिव /सचिव के माध्यम से शासकीय निकाय को प्रस्तुत करना;

(घ) सोसाइटी की सभी लेखा पुस्तकों, वित्तीय विवरणी, रसीद पुस्तकों, व्यय वाउचरों, बैंक पास बुक तथा चैक बुक, नकदी इत्यादि के सम्पूर्ण अभिरक्षक के रूप में कार्य करना ।

(7) शासकीय निकाय के सदस्यों की समाप्ति—शासकीय निकाय के पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य के रूप में नहीं रहेंगेः

(क) उसके त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर तथा स्वीकृति पर; 1

(ख) यदि वह इन उप विधियों के खण्ड 4 के उप खण्ड (8) के अनुसार सदस्य के रूप में नही रहा है;

(ग) यदि उसे सामान्य निकाय की बैठक में पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है ।

(8) सोसाइटी के नियोजन से अपवर्जनः

(क) सोसाइटी का कोई भी सदस्य सोसाइटी के पूर्ण कालिक या अंशकालिक नियोजन में नहीं रहेगा ;

(ख) शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा सदस्यों का कोई भी आश्रित या पारिवारिक सदस्य या निकट सम्बन्धी उसकी अवधि के दौरान सोसाइटी के कर्मचारी के रूप में नहीं लगाया जाएगा;

कोषाध्यक्ष
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति

सचिव
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
माली [illegible]

प्रधान
श्रीमति सन्तरा देवी शिक्षा समिति
[illegible] (महेन्द्रगढ़)

Scanned with CamScanner

(ग) शासकीय निकाय का प्रत्येक पदाधिकारी तथा सदस्य घोषणा करेगा यदि सोसाइटी के नियोजन में कोई व्यक्ति उसका निकट सम्बन्धी है ।

9 **सोसाइटी के संगम ज्ञापन, उपविधियों नाम इत्यादि में संशोधन–** सोसाइटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों या नाम का परिवर्तन, समामेलन या विभाजन में कोई संशोधन विशेष संकल्प के द्वारा केवल सामान्य निकाय के अनुमोदन से किया जाएगा । अपेक्षित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति सहित किसी ऐसे संशोधन या परिवर्तन की सूचना ऐसे समय के भीतर महा सचिव/सचिव द्वारा जिला रजिस्टार के कार्यालय में दायर की जायेगी जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित की जाए ।

10 **सोसाइटी की परिसम्पति तथा निधियों का प्रबन्धन**

(i) सोसाइटी की आय के स्रोतो में सदस्यता फीस, वार्षिक अंशदान, सम्पति/परिसम्पति से किराया, ब्याज,परामर्श फीस, दान, उपहार, अनुदान इत्यादि के मदें प्राप्तियां शामिल होंगी। सोसाइटी इसके सदस्यों से ब्याज मुक्त लघु अवधि कर्ज के द्वारा या ब्याज पर अनुसूचित बैंक से भी निधियां ले सकती है। ब्याज पर अनुसूचित बैंक से कर्ज केवल पूंजीगत परिसम्पति के सृजन की खरीद के लिए लेगी तथा न कि किन्हीं परिस्थितियों के अधीन किसी आवर्ती राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए होगी।

(ii) शासकीय निकाय वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान इसकी अनुमानित आय तथा पूंजीगत तथा राजस्व खर्च के आधार पर सोसाइटी के वार्षिक बजट तैयार करेगा तथा अनुमोदन करेगा तथा सूचना के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसकी प्रति भी रखेगा ।

(iii) सोसाइटी के बैंक लेखे ऐसे सदस्यों /पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जाएंगे जो समय समय पर शासकीय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाए ।

(iv) सभी परिसम्पति तथा निधियाँ सोसाइटी से सम्बन्धित होंगी तथा सोसाइटी में निहित होंगी।

(v) सोसाइटी की सभी प्राप्तियां तथा भुगतान बैंक दस्तावेजों के माध्यम से किए जाएंगे (अर्थात् डी डी/पे आर्डर/चैक/बैंक ट्रांसफर/आर टी जी एस) जिसमें सदस्यों से सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान की ओर सभी प्राप्तियां शामिल हैं। तथापि, शासकीय निकाय वित्तीय संव्यवहार की सीमांए अवधारित कर सकता है जो कतिपय अन्य मामलों में नकद में की जा सकती है ।

11 **सोसाइटी के लेखें:**

(i) सोसाइटी का खजांची आय कर कानून तथा/या किसी अन्य प्राधिकार के अधीन यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों अर्थात् रोकड़ बही, लेजर इत्यादि को रखने तथा अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेवार होगा जिसमें सोसाइटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च धन की सभी राशियों तथा सोसाइटी की परिसम्पति तथा दायित्वों के सम्बन्ध में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर भारत की चार्टर्ड लेखाकार की संस्था शामिल है ।

(ii) सोसाइटी की लेखा पुस्तके सोसाइटी के महा रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार या उन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा तथा किसी सदस्य द्वारा कारबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएंगी ।

(iii) सोसाइटी के वार्षिक लेखे सोसाइटी के किसी दो प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

कोषाध्यक्ष
श्रीमति [illegible] देवी शिक्षा समिति

सचिव
श्रीमति [illegible] देवी शिक्षा समिति
पाली (महेन्द्रगढ़)

प्रधान
श्रीमति [illegible] देवी शिक्षा समि
पाली (महेन्द्रगढ़)

Scanned with CamScanner